राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/4805 जयपुर, दिनांक : 25-06-2015

अधिसूचना

सां.आ.109/2015– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 सपठित नियम 56(3) तथा 58 (5) के अनुसरण में मतपेटी द्वारा चुनाव की दशा में निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे हेतु सांविधिक आदेश 22/95 दिनांक 13.10.1995 जारी किया हुआ है। उक्त सांविधिक आदेश में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराये जाने की दशा में ईवीएम की सुरक्षा एवं निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे के संबंध में निर्देश नहीं दिये गये है।

यतः EVM से निर्वाचन होने की दशा में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53ख के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को व्ययन (disposal) करने तथा निर्वाचन में प्रयुक्त ईवीएम में अंतर्विष्ट सूचना हटाने (erase करने) के संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि, आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए और अधोलिखित अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन में प्रयुक्त कागज पत्रों का व्ययन (disposal) किया जा सकेगा एवं ईवीएम में अंतर्विष्ट सूचना को निम्नलिखित अनुदेशों के अधीन रहते हुये हटाया (erase किया) जा सकेगा :–

(1) **नियम 53ख के उपखण्ड (क) के अधीन निर्देश :–**

उपयोग में लाये गये एवं उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों के पैकिट तथा निविदत्त मतपत्र (tenderd ballot papers) छः मास की कालावधि तक प्रतिधारित (retain) किये जायेंगे और उसके पश्चात् पैरा 5 में निर्दिष्ट रीति से विनिष्ट (destroy) कर दिये जायेंगे।

(2) **नियम 53ख के उपखण्ड (ख) के अधीन निर्देश :–**

(i) मतों की गणना के पश्चात् नियम 53क के उप नियम (3) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनिटें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए विहित अवधि के अवसान (समाप्ति) तक अर्थात निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अक्षुण्ण रखी जायेगी (Retain intact)।

(ii) उक्त 30 दिवस की अवधि में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होने का समाधान (satisfaction) होने पर मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना हटायी जा सकेगी तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटाया जा सकेगा।

(iii) जहाँ कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय में लम्बित (pending) है तो ऐसी निर्वाचन याचिका के निस्तारण (निर्णय) की तारीख से 3 महीने या निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए विहित अवधि जो भी अधिक हो, तक उससे संबंधित नियत्रंण यूनिटें एवं मतदान यूनिटें (यूनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अंतर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा अर्थात यूनिटें अक्षुण्ण रखी जायेगी (Retain intact)।

(3) **नियम 53ख के उपखण्ड (ग) के अधीन निर्देश :–**

नियम 53क के उपनियम (2) में निर्दिष्ट कागज पत्र एक वर्ष की कालावधि तक प्रतिधारित (retain) किये जायेंगे और इसके पश्चात् पैरा 5 में निर्दिष्ट रीति से विनिष्ट (destroy) कर दिये जायेंगे।

परन्तु उपयोग में लाये गये डाक मतपत्रों (postal ballot papers) के पैकिट निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से ही विनिष्ट (destroy) किये जायेंगे।

(4) **नियम 53ख के उपखण्ड (घ) के अधीन निर्देश :–**

निर्वाचन से संबंधी अन्य सभी कागज पत्र छः माह की कालावधि तक प्रतिधारित (retain) किये जायेंगे और इसके पश्चात् पैरा 5 में निर्दिष्ट रीति से विनिष्ट (destroy) कर दिये जायेंगे।

(5) **निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति :–**

पैरा 1, 3 एवं 4 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये जावें और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जावे ताकि उसे दुबारा कागज आदि बनने के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

परन्तु निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकड़े राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में किये जावे तथा ऐसे उपस्थित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जावे।

आज्ञा से,

25/6/2015

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/4806–08 जयपुर, दिनांक : 25-06-2015

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतिगां आयोग को उपलब्ध करावें।
3. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करें।

25/6/2015

(अशोक कुमार जैन)
सचिव